वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 02.07.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, आज, राष्ट्रीय सहारा, न्यायाधीश, आईनेक्स्ट, दैनिक भास्कर, ज्ञानशिखा टाइम्स," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण–दि0 02.07.2024

अग्निशमन यंत्र के लिए वीडीए देगा पांच करोड़

जागरण संवाददाता, वाराणसी : धर्म और संस्कृति की नगरी काशी में विकास का मसौदा तैयार करने के साथ उसे धरातल पर लाने के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने पूर्वांचल रियल एस्टेट एसोसिएशन संग बैठक की। वाराणसी के विकास के लिए सुझाव एवं निवेश विषयक संगोष्ठी में बिल्डरों ने एक-एक सुझाव दिए। बिल्डरों ने कहा कि काशी में जमीन कम होने के साथ बहुमंजिली ग्रुप हाउसिंग का नक्शा पास कराया जा रहा है लेकिन उन भवनों में सुरक्षा के लिए अग्निशमन विभाग के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। फिलहाल 17 मंजिल तक आग जैसी घटनाओं पर अग्निशमन विभाग काबू पा सकता है। विकास प्राधिकरण की ओर से 30 मंजिल तक आग पर काबू पाने के लिए दो करोड़ तक रुपये के वाहन यानी अग्निशमन यंत्र उपलब्ध कराया जाए। यह राशि पांच करोड़ तक हो सकती है। वीडीए ने अग्निशमन विभाग से दो दिन में प्रस्ताव मांगा है जिससे चार जून को वीडीए बोर्ड की होने वाले बैठक में रखा जा सके।

वीडीए सभागार मे पूर्वांचल रियल एस्टेट एसोसिएशन संग उपाध्यक्ष पुलिकत गर्ग व नगर नियोजक प्रभात कुमार।

क्रेडाई के अध्यक्ष आकाशदीप ने कहा कि बाहरी क्षेत्र के विकास के लिए जोनल प्लान बनाने के बाद ही नियोजित विकास संभव है। वर्ष 1973 में विकास प्राधिकरण का गठन होने के साथ तीन बार महायोजना बनी लेकिन अभी तक एक बार भी धरातल पर उतारा नहीं जा सका। जोनल प्लान में मूलभूत सुविधा सीवर, पेयजल और बिजली नहीं है। संरक्षक रामगोपाल सिंह ने कहा कि रिंग रोड के किनारे नई काशी की कल्पना की गई लेकिन धरातल पर उतारने के लिए कई चुनौतियां है। रिंग रोड किनारे फायर स्टेशन स्थापित की जाए जिससे लोगों को तत्काल राहत पहुंचाया जा सके। पानी स्टोर के लिए पर्याप्त स्थान भी नहीं है। महासचिव जीतेन्द्र कुमार सिन्हा ने कहा कि एयरपोर्ट और रिंग रोड के साथ उसके दोनों तरफ दो किलोमीटर तक विकास तेजी से हुए हैं, यहां सुनियोजित विकास की जरूरत है। कोषाध्यक्ष प्रशांत केजरीवाल ने कहा कि रेरा के एक अधिकारी की बनारस में तैनाती की जाए। अभी लखनऊ जाना पड़ता है। रिंग रोड को कनेक्ट करने वाले संपर्क मार्गों की चौड़ाई बढ़ाई जाए। बैठक में नगर नियोजक प्रभात कुमार, अरुण अग्रवाल, आरसी जैन, संतोष राणा, आशुतोष सिंह, पंकज सिंह आदि मौजूद थे।

दैनिक जागरण–दि0 02.07.2024

खुद जमीन देने पर उपाध्यक्ष ने दिया प्रशस्ति पत्र

जागरण संवाददाता, वाराणसी : रथयात्रा चौराहे से गुरुबाग की तरफ जाने वाले मार्ग के चौड़ीकरण में काशीवासियों ने खुद पहल शुरू कर दी है। वीडीए की टीम ने जमीन व मकान चिह्नित करने के साथ भवन मालिकों से सहयोग करने की अपील की थी। साथ ही वीडीए की योजना के बारे में बताया था। राजेश कुमार जायसवाल के 11 फीट जमीन पर देने पर वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

अमर उजाला–दि0 02.07.2024

वीडीए को फायर ब्रिगेड की 2 वाहन देगा क्रेडाई

वाराणसी। वीडीए के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग की अध्यक्षता में सोमवार को वीडीए में वाराणसी बिल्डर्स डेवलपर्स एसोसिएशन की बैठक हुई। रामनगर, बाबतपुर सहित अन्य संयोजित स्थानों में विकास करने, फायर ब्रिगेड की सुविधा आदि कार्यों पर विचार विमर्श किया गया। स्वीकृत मानचित्रों के सापेक्ष ही निर्माण कार्य करने का अनुरोध किया गया। बिल्डर्स को नगर निगम, पीडब्लूडी से एनओसी लेने में हो रही समस्याओं के बारे में बताया। उपाध्यक्ष ने बताया कि एक पोर्टल लांच किया गया है। इससे किसी भी भूमि का लैंडयूज, एचएफएल और भूमि नगर निगम में है या नहीं, इसकी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। उपाध्यक्ष ने बताया कि क्रेडाई पूर्वांचल ने विकास के संबंध में सुझाव दिए। साथ ही कहा कि बाहरी क्षेत्रों में विकास के लिए जोनल प्लान बनाएं। रिंग रोड किनारे फायर स्टेशन बनवाएं। इसके लिए क्रेडाई ने दो फायर वाहन देने का आश्वासन दिया। सुझाव देने वालों में आरसी जैन, आकाश दीप, जीतेंद्र कुमार सिन्हा, प्रशांत केजरीवाल, अनूप दुबे रहे। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 02.07.2024

वीडीए ने दो अवैध निर्माण किए सील

वाराणसी। मुगलसराय वार्ड के गोधना अलीनगर में नीरज सिंह की ओर से बगैर नक्शा पास कराए अवैध निर्माण कराया जा रहा था। पहले नोटिस भी दिया गया था। बावजूद निर्माण जारी रखने पर वीडीए ने कार्यस्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में दिया। नगवां वार्ड के महामना नगर कॉलोनी सुंदरपुर में रमेश जायसवाल, आशीष अग्रवाल, आनंद अग्रवाल की ओर से अवैध निर्माण कराया जा था। इस संबंध में नोटिस दिया गया था। इसे भी सील किया। ब्यूरो

हिन्दुस्तान–दि0 02.07.2024

स्वेच्छा से वीडीए को सौंपी जमीन

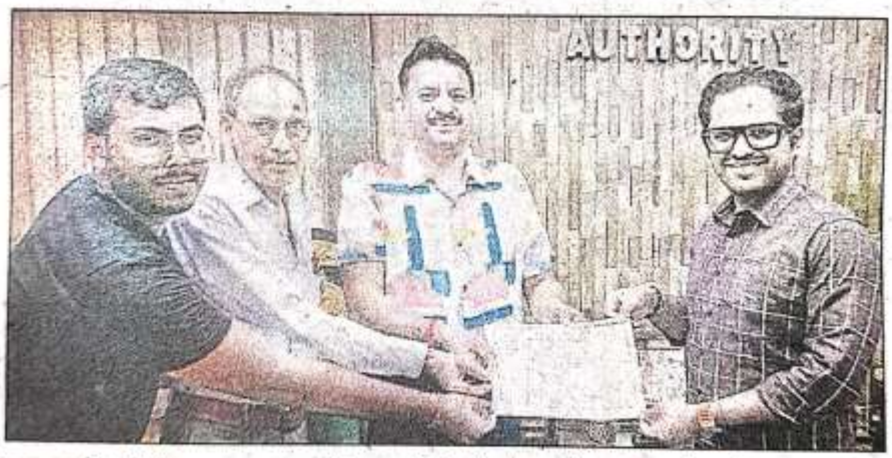

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने सोमवार को शहरवासी राजेश कुमार जायसवाल को सम्मानित किया। उन्होंने मार्ग चौड़ा करने में रुकावट आने पर अपनी 11 फुट जमीन वीडीए को दे दी। रथयात्रा-गुरुबाग मार्ग को चौड़ा करना है। राजेश कुमार की भूमि की वजह से रुकावट आ रही थी। अधिकारियों ने संपर्क किया तो उन्होंने रास्ते के चौड़ीकरण के लिए 11 फुट जमीन स्वेच्छा से दे दी।

आज–दि0 02.07.2024

विप्रा उपाध्यक्षने बिल्डरोंके साथ की जरूरी बैठक

विप्राके उपाध्यक्ष पुलकित गर्गकी अध्यक्षतामें सोमवारको विकास प्राधिकरणके सभागारमें विकास उपविधि '२००८ पर बिल्डर एवं डेवलपर्स असोसियेशनके साथ बैठक की। उसमें मुख्यत: भवनमें रेनवाटर हार्वेसिंग विशेषकर रामनगर, बाबतपुरमें हो रहे कार्योंमें फायरब्रिगेडकी सुविधा एवं अन्य विषयोंपर विचार विमर्श किया गया। इसमें कुछ लोगोंने बताया कि स्वीकृत मानचित्रके सापेक्षमें ही निर्माण किया जाय। हालांकि कुछ बिल्डरोंने बताया कि पीडब्ल्यूसीसे एनओसी प्राप्त करनेमें समस्या उत्पन्न हो रही है। जिसपर उपाध्यक्षने निर्देश दिया कि एनओसी निस्तारणके लिए दबाव बनाया जायेगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि प्रात: दस बजेसे मध्याह्न १२ बजे तक मानचित्र सुंविधा सेलमें आवश्यक कार्य किये जा रहे हैं जिससे कि बिल्डरोंको लाभ महसूस होगा। अन्तमें विप्रा उपाध्यक्षने बिल्डर असोसियेशनके विभागके साथ सामंजस्य बनाकर कार्य करनेका अनुरोध किया। बैठकमें नगर नियोजक प्रभात कुमार, अधिशासी आनन्द मिश्र, ए.आर.सी.पी. ग्रुप एवं अन्य लोग मौजूद थे।

आज–दि0 02.07.2024

नगवां और अलीनगरमें निर्माणाधीन भवन सील

विप्रा उपाध्यक्षके निर्देशपर सोमवारको अभियन्ताओंने अभियान चलाकर दो स्थानोंपर नवनिर्मित भवनको सील कर दिया। मुगलसरायके अन्तर्गत नीरज सिंह, बाईपास थाना-अलीनगरने बिना मानचित्र स्वीकृत कराये भवनका निर्माण कर रहे थे। इस सम्बन्धमें विभागीय जांचके दौरान १६ अप्रैल, २०२४ को भवन स्वामीको नोटिस भेजी गयी थी कि निर्माण कार्य तत्काल रोक दिया जाय। लेकिन भवन स्वामी निर्माण कार्य जारी रखा। जोनल अधिकारीके निर्देशपर सोमवारको भवनको सील कर दिया गया और निकटम पुलिसकी अभिरक्षामें सौंप दिया गया। इसी प्रकार वार्ड नगवां में भवन स्वामीने बिना मानचित्र स्वीकृत कराये भूतलपर निर्माण कार्य करा रहा था। शिकायतके आधारपर मौकेपर अवर अभियन्ता पहुंचे और कराये जा रहे निर्माण कार्यकी अनुमति मांगी जिसे भवन स्वामी दिखानेसे इनकार कर दिया। अवर अभियन्ताकी पुष्टिपर सोमवारको जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, अवर अभियन्ता आर.के सिंहने भवनके सील कर दिया और निर्माणाधीन भवनको निकटतम थानेकी अभिरक्षामें सौंप दिया गया। इसी प्रकार जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार और अवर अभियन्ता पी.एन. दुबेने मुगलसरायमें भवनको सील कर दिया गया।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 02.07.2024

विस्तारिकरण में खुद की जमीन देने पर मिला प्रशस्ति पत्र

वाराणसी। विस्तारीकरण से प्रभावित हो रही 11 फीट जमीन से अपने निर्माण को स्वतः हटाकर वाराणसी विकास प्राधिकरण को सौंपने के लिए वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने सोमवार को राजेश कुमार जायसवाल को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। दरअसल, रथयात्रा से गुरुबाग मार्ग का विस्तारीकरण हो रहा हैं। इस मार्ग पर विस्तार से प्रभावित क्षेत्र से अपने निर्माण व कब्जे को राजेश कुमार जायसवाल ने जनहित में स्वयं हटाकर शहर के सुनियोजित विकास में वीडीए का सहयोग किया, इसको लेकर उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

वीडीए उपाध्यक्ष ने कार्यालय में प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित

वीडीए ने दो भवनों को किया सील

वाराणसी। वीडीए की प्रवर्तन टीम ने सोमवार को अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही की। मुगलसराय वार्ड के अंतर्गत नीरज सिंह पुत्र एसएन सिंह, मौजा गोधना, बाईपास थाना-अलीनगर, वार्ड-मुगलसराय पर बिना मानिचत्र स्वीकृत कराये हो रहे अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध 16 अप्रैल 2024 को नोटिस की कार्यवाही की गई थी, पक्ष द्वारा लगातार कार्य जारी रखने पर सोमवार को स्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। वहीं दूसरी तरफ नगवां वार्ड के अंतर्गत रमेश जायसवाल, आशीष अग्रवाल व आनंद अग्रवाल द्वारा महामना नगर कालोनी, सुंदरपुर में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये भूतल पर कॉलम का निर्माण कार्य किये जाने पर उक्त अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध नोटिस की कार्यवाही की गई थी, पक्ष द्वारा लगातार कार्य जारी रखने पर सोमवार को स्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश–दि0 02.07.2024

वाविप्रा ने सील किया अवैध निर्माण

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-5 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।इसके तहत वार्ड-मुगलसराय के अन्तर्गत नीरज सिंह पुत्र एस0एन0 सिंह, मौजा गोधना, बाईपास थाना-अलीनगर, वार्ड-मुगलसराय, जिला-वाराणसी पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये हो रहे अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध 30प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27, 28(i) व 28 (ii) के अन्तर्गत उक्त अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध दिनांक 16.04.2024 को नोटिस की कार्यवाही की गई थी, पक्ष द्वारा लगातार कार्य जारी रखने पर आज दिनांक 01.07.2024 को स्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सतत् निगरानी रखने हेतु सौंप दिया गया है।इस दौरान जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार ,अवर अभियन्ता पी0एन0दुबें, मौजूद रहे।

अवैध निर्माण किया गया सील

वाराणसी।वार्ड-नगवां के अन्तर्गत रमेश जायसवाल,आशीष अग्रवाल व आनन्द अग्रवाल वगैरह द्वारा महामना नगर कालोनी, सुन्दरपुर, वार्ड-नगवां, जिला-वाराणसी पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 50'x 60' के क्षेत्रफल में भूतल पर कॉलम का निर्माण कार्य किये जाने पर उक्त अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध 30प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27, 28(1) व 28 (ग) के अन्तर्गत उक्त अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध नोटिस की कार्यवाही की गई थी, पक्ष द्वारा लगातार कार्य जारी रखने पर 01.जुलाई को स्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सतत निगरानी रखने हेतु सौंप दिया गया है।जोनल अधिकारी श्री प्रमोद तिवारी,अवर अभियन्ता आर0के0 सिंह, मौजूद रहे।

वीडीए ने राजेश को दिया प्रशस्ति पत्र

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने सोमवार को

वीडीए सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में राजेश कुमार जायसवाल को प्रशस्ति पत्र दिया। उन्होंने बताया कि रथयात्रा से गुरुबाग मार्ग के निवासी राजेश ने सड़क विस्तारीकरण से प्रभावित हो रही 11 फीट जमीन से अपने निर्माण को स्वतः हटा लिया। साथ ही यह जमीन वीडीए को सौंप दिया।

न्यायाधीश–दि0 02.07.2024

वाविप्रा सभागार में की गई बिल्डर्स एवं डेवलपर्स एसोसिएशन के साथ समीक्षा बैठक

वाराणसी।वाविप्रा के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग की अध्यक्षता में प्राधिकरण सभागार में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि.2008 (यथा संशोधित) एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के सम्बन्ध में वाराणसी बिल्डर्स एवं डेवलपर्स एशोसिएशन के साथ समीक्षा बैठक की गई, रामनगर, बाबतपुर सहित अन्य संयोजित स्थानों में विकास कार्य किये जाने हेतु तथा फायरब्रिगेट की सुविधा देना आदि कार्यो पर विचार विमर्श किया गया बैठक में स्वीकृत मानचित्रों के सापेक्ष ही निर्माण कार्य किए जाने का अनुरोध किया गया तथा बिल्डर्स को नगर निगम तथा पी0डब्लू0डी0 के एन0ओ0सी0 प्राप्त में हो रहीं समस्याओं पर उपाध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया सभी लंबित एन0ओ0सी0 का निष्तारण समय से किया। बैठक के दौरान नगर नियोजक प्रभात कुमार,अधिशासी अभियन्ता आनन्द मिश्रा, ए0आर0सी0 ग्रुप, डिडवानिया ग्रुप आदि लोग उपस्थित रहे।

आईनेक्स्ट–दि0 02.07.2024

एक क्लिक में ही जान सकेंगे अपनी लैंड

वीडीए के पोर्टल पर जान सकेंगे एचएफएल एरिया में लैंड है या नगर निगम एरिया में

varanasi@inext.co.in

VARANASI (1 July): लैंड होल्डर्स के लिए गुड न्यूज है. अब एक क्लिक में पता कर सकेंगे कि आपकी जमीन एचएफएल एरिया में है या फिर नगर निगम एरिया में. इसके लिए बिल्डर्स हो या फिर आम पब्लिक. किसी को भी विकास प्राधिकरण का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. क्योंकि वीडीए एक पोर्टल लांच करने जा रहा है, जिसमें एक क्लिक करने पर आपका लैंड पता चल जाएगी.

वीडीए वीसी ने दी जानकारी

सोमवार को वीडीए के सभागार में क्रेडाई के पदाधिकारियों संग आयोजित वर्कशॉप में नए पोर्टल के बारे में जानकारी वीडीए उपाध्यक्ष ने दी. उन्होंने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से हर कोई अपनी लैंड के बारे में जान सकेगा. इस पोर्टल की लॉचिंग जल्द की जाएगी.

क्रेडाई सदस्यों का सुझाव

क्रेडाई पूर्वांचल के अध्यक्ष आकाशदीप ने कहा कि बाहरी क्षेत्र के विकास के लिए जोनल प्लान बनाए जाने के बाद ही नियोजित विकास संभव है. वर्ष 1973 में वाराणसी विकास प्राधिकरण के गठन उपरांत तीन महायोजनाएं बन चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक बार भी पूरे शहर के नियोजित विकास के लिए जोनल प्लान तैयार नहीं किया गया है. जोनल प्लान बनाए जाने के बाद ही मूलभुत सुविधाएं जैसे सीवर, इलेक्ट्रिसिटी एवं जल मिल पाएंगी.

नया फायर स्टेशन बनाएं

क्रेडाई मेंबर्स ने मांग की कि रिंग रोड के किनारे नया फायर स्टेशन बनाया जाए. वर्तमान में दो फायर स्टेशन एक भेलूपुर एवं दूसरा चेतगंज में है, जो शहर के हिसाब से पर्याप्त नहीं है. पानी स्टोरेज की क्षमता पर्याप्त नहीं है. एक नया फायर स्टेशन मोहनसराय में प्रस्तावित है. क्रेडाई पूर्वांचल ने एक फायर स्टेशन शिवपुर में भी बनाने की मांग की. इसके साथ ही फायर स्टेशन को अवस्थापना निधि से उच्च तकनीक के फायर उपकरण उपलब्ध कराए जाएं, जो 30-35 हाइराइज इमारतों के लिए बहुत उपयोगी है.

क्रेडाई मेंबर्स का आभार

क्रेडाई सदस्यों ने दो वाहन देने का आश्वासन दिया. वीसी ने फायर उपकरण खरीद में सहयोग को क्रेडाई पूर्वांचल का धन्यवाद किया एवं अधिकारियों को निर्देश दिया कि फायर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक बुलाकर इस पर कार्य प्रारम्भ करने का निर्देश दिया. इस मौके पर टाउन प्लानर प्रभात कुमार, पूर्वांचल रियल एस्टेट एसो. के चेयरमैन आरसी जैन, अध्यक्ष आकाश दीप, महासचिव, जीतेन्द्र कुमार सिन्हा, प्रशांत केजरीवाल, उपाध्यक्ष अनूप दुबे, वरिष्ठ सदस्य राम गोपाल सिंह आदि मौजूद थे.

दैनिक भास्कर–दि0 02.07.2024

स्वीकृत मानचित्रों के सापेक्ष ही हों निर्माण कार्य : पुलकित गर्ग

भास्कर ब्यूरो

वाराणसी। सोमवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने निर्माण एवं विकास उपविधि.2008 (यथा संशोधित) एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के सम्बन्ध में वाराणसी बिल्डर्स एवं डेवलपर्स एशोसिएशन के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान रामनगर, बाबतपुर सहित अन्य संयोजित स्थानों में विकास कार्य किये जाने हेतु तथा फायरब्रिगेट की सुविधा देना आदि कार्यो पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में स्वीकृत मानचित्रों के सापेक्ष ही निर्माण कार्य किए जाने का अनुरोध किया गया तथा बिल्डर्स को नगर निगम तथा पी०डब्लू०डी० के एनओसी प्राप्त करने में हो रही समस्याओं पर उपाध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी लॅबित एनओसी का निस्तारण समय से किया जाय। उन्होने बताया की मानचित्र सुविधा सेल में कार्यरत कार्मिक सुह दस बजे से अपरान्ह बारह बजे तक कार्यालय कक्ष संख्या-38 में उपस्थित हो कर विचार-विमर्श कर मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाने का कार्य करेगें। बैठक के दौरान नगर नियोजक प्रभात कुमार,अधिशासी अभियन्ता आनन्द मिश्रा, एआरसी ग्रुप, डिडवानिया ग्रुप आदि लोग उपस्थित रहे।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 02.07.2024

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही

वाराणसी। वार्ड-नगवॉं के अन्तर्गत रमेश जायसवाल,आशीष अग्रवाल व आनन्द अग्रवाल वगैरह द्वारा महामना नगर कालोनी, सुन्दरपुर, वार्ड-नगवॉं, जिला-वाराणसी पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 50% × 60% के क्षेत्रफल में भूतल पर कॉलम का निर्माण कार्य किये जाने पर उक्त अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27, 28(द्व) व 28 (द्वद्व) के अन्तर्गत उक्त अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध नोटिस की कार्यवाही की गई थी, पक्ष द्वारा लगातार कार्य जारी रखने पर आज दिनांक 01.07.2024 को स्थल को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सतत् निगरानी रखने हेतु सौंप दिया गया है। जोनल अधिकारी श्री. प्रमोद तिवारी,अवर अभियन्ता आर0के0 सिंह, मौजूद रहे।